रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 143] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 16, 1969/चैत्र 26, 1891

No. 143] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 16, 1969/CHAITRA 26, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi the 16th April 1969

S.O. 1435—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the death of Shri Ganpat Sahai elected to that House from 25-Sultanpur parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 24th May, 1969, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused.

[No. 100/UP-HP/4/69(1).]

S.O. 1436.—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People, Act, 1951, the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 25-Sultanpur parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh in pursuance of its notification No. 100/UP-HP/4/69(1), dated the 16th April, 1969—

(a) the 23rd April, 1969, as the last date for making nominations;

(b) the 24th April, 1969, as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 26th April, 1969, as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 18th May, 1969, as the date on which a poll shall, if necessary be taken; and

(e) the 24th May, 1969, as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/UP-HP/4/69(2).]

S.O. 1437.—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 A.M. to 5.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the House of the People from 25-Sultanpur Parliamentary Constituency, to be held in pursuance of its notification No. 100/UP-HP/4/69(I), dated the 16th April, 1969.

[No. 100/UP-HP/4/69(3).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1969

एस० ओ० 1438.—यतः उत्तर प्रदेश राज्य में के 25—सुलतानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री ग पत सहाय की मृत्यु हो जाने से लोक सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 24 मई, 1969 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/उ० प्र०—लो० स०/4/69(1).]

एस० ओ० 1439.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/उ० प्र०—लो० स०/4/69(1), तारीख 16 अप्रैल, 1969 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश राज्य में के 25—सुलतानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में —

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख— 23 अप्रैल, 1969;

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख— 24 अप्रैल, 1969;

(ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख— 26 अप्रैल, 1969;

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा—18 मई, 1969; तथा

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा 24 मई, 1969 एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 100/उ० प्र०—लो० स०/4/69 (2).]

एस० ओ० 1440.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/उ० प्र०—लो० स०/4/69(1), तारीख 16 अप्रैल, 1969 के अनुसरण में 25—सुलतानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के

लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 8 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा ।

[सं० 100/उ० प्र०-लो० स०/4/69 (3).]

आदेश से ,

ए० एन० सैन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969